>

Title : Alleged sale of spurious drugs in Delhi and other parts of the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। आज पूरे देश में लोगों के जनजीवन और स्वास्थ्य के सवाल पर नकली दवाओं का कारोबार एक महामारी के रूप में फैल रहा है और इस काम को करने वाले लोग आज दवा के नाम पर जहर परोसने का काम कर रहे हैं। कदाचित सभी ग्रामीण इलाकों में जब कोई मजदूर, कोई गरीब महिला अपने सुहाग के थाल को सजाए, अपने सुहाग की हिफाजत के लिए कर्ज लेकर किसी गांव की दुकान या किसी हाट-बाजार में दवा लेने के लिए जाती है और उसे नकली दवा मिल जाती है और जीवन और मौत से जूझ रहे उसके परिवार के सदस्य की जिंदगी बचने के बजाय वह मौत के मुंह में चली जाती है। आज इस फार्मा इंडस्ट्रीज में 85 हजार करोड़ रुपये लगे हुए हैं और यह माना जा रहा है कि आज हर पांचवीं दवा नकली है। मेरे पास वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2001 की रिपोर्ट है, जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उसके मुताबिक हमारे देश में लगभग 35 प्रतिशत दवाएं नकली हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात को माना है कि आज बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं, उनमें पांच परसेन्ट दवाएं नकली हैं और उनमें तीन परसेन्ट की मिलावट है। जबकि ये आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पांच करोड़ रुपये खर्च करके सर्वे करा रहे हैं। पिछले दिनों इसी सदन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन किया है और उसके अनुसार दवाओं में मिलावट करने पर या नकली दवाएं बेचने पर लोगों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी नकली दवाओं का कारोबार रुक नहीं रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश की राजधानी में एक रैकेट पकड़ा गया था, जो इंटर-स्टेट रैकेट था। यहां 13 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी, जो बिहार और बंगाल से बनकर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में आती थीं और फिर पूरे देश में सप्लाई होती थीं। यह बहुत गम्भीर विषय है, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोग इससे प्रभावित हैं। हमारे गांवों में दवा वाला या कैमिस्ट न तो कोई पर्ची देता है और न कोई रसीद देता है, जिससे उसके विरुद्ध कोई कानून कार्रवाई की जा सके और आज जो दवाएं बाजारों में मिल रही हैं, उनमें असली और नकली दवाओं में फर्क भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो नकली दवाओं का रैकेट है, जो इनका उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनकी पैकिंग देखकर और उन दवाओं को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये नकली दवाएं हैं।[BS6]

आज आवश्यकता है कि वर्ष 2002-03 में श्री आर.ए. मशालकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार अगर देश में ऐसे लोग, जो नकली दवायें बेचकर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या जो लोगों को मौत के मुंह में ले जाने का काम कर रहे हैं, वे किसी हत्यारे से कम अपराधी नहीं हैं। अगर किसी को हत्या के मामले में मौत की सज़ा हो सकती है तो निश्चित तौर पर डैथ पैनल्टी देने का समय आ गया है और इस सम्मानित सदन को सोचना चाहिये। अगर देश में नकली दवायें बेचने का कोई काम कर रहा है तो देश के साथ और लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिये इस महत्वपूर्ण सवाल पर चिन्ता है। ASSOCHAM ने भी कहा है कि हर साल 25 प्रतिशत कारोबार नकली दवाओं का बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, आपने समय कम दिया है, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता और मैं खुद ही बात खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री रैस्पांड करें, सम्मानित सदन को विश्वास में लें और फिर डैथ पैनल्टी का कानून बनायें जिससे देश से नकली दवाओं का कारोबार खत्म हो।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, हमने अपने समय में प्रावधान करने के लिये सोचा था।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं जानता हूं कि यह मामला आपकी कैबिनेट में पहुंच गया था लेकिन पास नहीं हुआ था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम भी चाहते हैं कि आप बिल लेकर आये, हम पारित कराने के लिये तैयार हैं।

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल : हम सवाल उठा रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम इस मामले से सम्बद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं।

MADAM SPEAKER: Do not advise each other. Do not talk to each other.

...(*Interruptions*)